

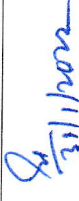
भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हेक्टेयर वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 22.555 हेक्टेयर वनभूमि कुल 31.011 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा जाती है।
----	---	---

तिथि:- 31/01/2022

स्थान:- भोपाल।



(SUNIL AGRAWAL)

Addl. P.C.C.F. (L.M.)

Madhya Pradesh, Bhopal